न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 15/2018

ज्ञानचन्द पुत्र खेमचन्द जाति राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. गुलाबचन्द पुत्र शीला पत्नी शानूराम जाति राजपूत निवासी सबाना मण्डी तहसील व जिला पटियाला।
2. कमलचन्द पुत्र शीला पत्नी शानूराम जाति राजपूत निवासी सबाना मण्डी तहसील व जिला पटियाला।
3. मनफुल पुत्र शीला पत्नी शानूराम जाति राजपूत निवासी सबाना मण्डी तहसील व जिला पटियाला।
4. भागवंती पत्नी रामप्रकाश जाति राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. दिवेश उर्फ दिनेश कुमार पुत्र रामप्रकाश जाति राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. रामप्रताप पुत्र रामप्रकाश जाति राजपूत निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. जसकरणसिंह पुत्र शमशेरसिंह जाति जट सिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. सुरेन्द्र सिंह पुत्र शमशेर सिंह जाति जटसिख निवासी खाटलबाना तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 12.02.2018

उपस्थितिः—

21/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री सुभाष मिढा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री भगतसिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 3

श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 21.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त. अधि. की धारा 88, 91, 53, 188, 92ए का पेश कर कथन किया कि वादी के पिता खेमचन्द को पाक विस्थापित के रूप में बतौर नान क्लेमेंट चक 2 जी. बडी के मु.नं. 37 के कि.नं. 1 से 3 , 8 से 10 ,11 से 13, 19 से 22 की 12.10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। उक्त भूमि चार जीवों के आधार पर आवंटन हुई थी एवं चारों के नाम से ही सनद जारी हुई थी। वादी के पिता का करीब 30–35 वर्ष पूर्व देहान्त हो गया। वादी की माता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 06.12.78 को अपने हिस्से की वसीयत वादी व दिवानचन्द के हक में कर दी। वादी की माता का देहान्त होने के बाद उसका हिस्सा 1/3 वादी व उसके भाई दिवानचन्द को प्राप्त हुआ। अतः वादी उक्त आराजी में से 6.10 बीघा भूमि का हकदार बन गया। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि वह वादी को 6.10 बीघा भूमि का खातेदार मानकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दें लेकिन उनके द्वारा इन्कार कर दिया। अतः निवेदन है कि वादी को 6.10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने जबाब दावा मय कांउटर क्लेम पेश कर कथन किया कि सनद के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से 3 जो शीलोबाई के वारिसान हैं उन्हें इस खाता में से 1.02बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर कब्जा प्रतिवादी सं. 1 से 3 को दिलाया जावे।

दावा एवं जबाबदावा के आधार पर अनुतोष सहित 7 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर ने दिनांक 12.02.2018 को वाद वादी खारिज कर दिया तथा प्रतिवादी का कांउटर क्लेम स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है।

21/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से वाद पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय वादी के पक्ष में किया गया है। तनकी नं. 3 का निर्णय अधी. न्यायालय ने गलत किया है। वसीयतनाम नोटरी पब्लिक से तस्दीक हुआ था एवं उसके रजिस्टर में भी दर्ज है। वसीयत के दो हासिया गवाह की मृत्यु हो गई थी एवं अपीलांट ने अधी. न्यायालय में दिनांक 08.11.2016 को गवाह लखवीरसिंह को तलब करने का निवेदन किया था। लेकिन अधी. न्यायालय ने उसकी तलबी नहीं करवायी। अगर गवाह को तलब किया जाता तो वादी के पक्ष में हुई वसीयत साबित हो जाती। वादी ने अपने वाद को पूर्ण रूप से साबित किया था फिर भी अधी. न्यायालय ने वाद को खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वाद डिक्री किया जावे। वकील अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2017(2) पेज 873 की नजीर पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलांट ने वसीयत को साक्ष्य से साबित नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब वसीयत पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। उसे साबित नहीं माना जा सकता। खेमचन्द की भूमि उसकी मृत्यु उपरांत सभी वारिसान को प्राप्त होगी। प्रतिवादीगण ने जबाब दावा के साथ कांउटरक्लेम पेश किया जो अधी. न्यायालय ने स्वीकार कर वाद को खारिज करने एवं कांउटरक्लेम को स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। वकील रेस्पों. ने अपने पक्ष के समर्थन में डी.एन.जे. 2009(एस.सी) पेज 1 की नजीर पेश की।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि उसके एवं दिवानचन्द के पक्ष में वसीयत है एव वसीयत के आधार पर उसे 6.10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था। तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय अधी. न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में किया गया है जबकि तनकी सं. 3 से 5 का निर्णय वादी के विरूद्ध किया है। तनकी नं. 3

2/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

के निर्णय में यह अंकित किया है कि वादी द्वारा उक्त वसीयत को साक्ष्य से साबित नहीं करवाया है। इस सम्बन्ध में अपीलांट का कथन है कि वसीयत के दो हासिया गवाह की मृत्यु हो चुकी थी जिस कारण उन्हें पेश नहीं किया जा सका, बाद में वादी को पता चला कि गवाह लखवीरसिंह जीवित है उसे तलब करने हेतु अपीलांट ने अधी. न्यायालय में पेश किया जो अधी.न्यायालय की पत्रावली पर पृष्ठ सं. ए–7/1 पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में अधी. न्यायालय को चाहिए था कि उक्त गवाह को तलब करने के लिए न्यायालय से नोटिस/सम्मन/जमानती वारंट/गिरफतारी वरंट इत्यादि से बुलाए जाने के विधि में प्रावधान है। इन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना पत्रावली में नहीं पाया जाता है। मात्र गवाहों के उपस्थित नहीं आने पर गवाही बंद कर दी जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संदर्भ गवाहों को साक्ष्य हेतु तलब किया जाकर विधिक प्रक्रिया अनुसार पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2018 को अपास्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उपर वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भ गवाह को विधि अनुसार तलब कर पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(प्रेमाराम परमार)
सजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर